रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 1972/माघ 18, 1893

No. 83] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 1972/MAGHA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February 1972

S.O. 122(E).—Whereas I, F.G.T. Menezes, have been authorised by the Vegetable Oil Products Controller for India under sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, to exercise the powers of the Controller under the said Order ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 9 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947 read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food & Agriculture No. G.S.R. 882 dated the 24th September, 1958, and in supersession of the notification of the Government of India in he Ministry of Agriculture, Department of Food, No. S.O. 5186 dated the

22nd November, 1971, I hereby fix, with the prior concurrence of the Central Government, the maximum prices at which vegetable oil products may be sold in the various zones specified below with effect from the 8th February, 1972 as follows :—

	ZONE 'A'			ZONE 'B'		
	Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chandigarh and Delhi.			Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Laccadive, Minicoy and Aminidivi Islands andPondicherry.		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) *In tin containers*						
Net capacity in kilograms)						
16.5	77·10	82·12	83·44	75·30	80·23	81·55
15·0 (*)	70·43	75·00	76·20	68·79	73·28	74·48
4·0	20·54	21·85	22·17	20·10	21·39	21·71
2·0	10·73	11·41	11·57	10·51	11·18	11·34
(b) *In high-density polythene containers*						
(Net capacity in kilograms)						
1·0	5·78	6·14	6·22	5·67	6·02	6·10
(c) *In returnable galvanised steel drums*						
Per kilogram net	4·68	4·98	..	4·56	4·84	..
(d) *Loose, in small quantities*						
Per kilogram net	..	..	5.06	..	..	4·94

	ZONE 'C'			ZONE 'D'		
	Assam, Bihar, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram			Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, and Goa, Daman & Diu		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) *In tin containers*						
(Net capacity in kilograms)						
16·5	77·63	82·67	83·99	75·19	80·11	81·43
15·0(*)	70·91	75·51	76·71	68·70	73·18	74·38
4·0	20·68	21·99	22·31	20·08	21·36	21·68
2·0	10·79	11·47	11·63	10·50	11·16	11·32
(b) *In high-density polythene containers.*						
(Net capacity in kilo gams)						
1·0	5·82	6·18	6·26	5·67	6·02	6·10
(c) *In returnable galvanised steel drums*						
Per kilogram net	4·70	5·01	..	4·56	4·84	..
(d) *Loose in small quantities*						
Per kilogram net	..	..	5·09	..	..	4·94

NOTE : (1) (*) Aerated quality—manufactured under special permission.
(2) The price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi, terminal tax and other local taxes.
(3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty, but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

Explanation : In this notification :
(i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16.5 kgs. of vegetable oil product to any one consumer at a time.
(ii) "wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product,
(a) to a retailer in any quantity, or
(b) to a consumer exceeding 16.5 kgs. at a time.

[No. 12-2/72 C&P'I]
F. G. T. MENEZES,
Director Vanaspati).

कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1972

का० आ० 122(अ).—यतः मैं, एफ० जी० टी० मैनेजिज, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के अधीन उक्त उक्त आदेश के अधीन की नियंत्रक शक्तियों का प्रयोग करने के लिये भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया हूँ ।

अतः, अब भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 882 तारीख 24 सितम्बर 1958 के साथ पठित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 5186 तारीख 22.11.71 को अधिकृत करते हुए मैं, एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से, अधिकतम कीमतें जिन पर वनस्पति तेल उतपादों को नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न जोनों में 8.2.1972 से विक्रय किया जा सकेगा, निम्नलिखित रूप से नियत करता हूं :—

जोन "क"			जोन "ख"			
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, और दिल्ली			आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तामिलनाडु, लंकाद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह और पांडिचरी			
उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	
(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	
(क) टिन के प्रत्येकों में (किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)						
16.5	77.10	82.12	83.44	75.30	80.23	81.58
15.0	70.43	75.00	76.20	68.79	73.28	74.48
4.0	20.54	21.85	22.17	20.10	21.39	21.71
2.0	10.73	11.41	11.57	10.51	11.18	11.34
(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आधारों में (किलोग्राम में शुद्ध धारिता)						
1.0	5.78	6.14	6.22	5.67	6.02	6.10
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम शुद्ध						
	4.68	4.98	—	4.56	4.86	—
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्ध						
	..	..	5.06	..	..	4.94

जोन 'ग'	जोन 'घ'
असम, बिहार, मेघालय, नागालन्ड, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, मणीपुर और मिजोराम ।	गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली तथा गोवा दमन और दीप

	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
	(क) टिन के आधानों में किलोग्राम में शुद्ध धारिता					
16.5	77.63	82.67	83.99	75.19	80.11	81.48
16.0	70.91	75.51	76.71	68.70	73.18	74.38
4.0	20.68	21.99	22.31	20.08	21.30	21.68
2.0	10.79	11.47	11.68	10.50	11.16	11.32
	(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आधानों में (किलोग्राम में शुद्ध) धारिता					
1.0	5.82	6.18	6.26	5.67	6.02	6.10
	(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम शुद्धता					
	4.70	5.01	..	4.56	4.86	..
	(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्धता					
	..	..	5.09	..	..	4.94

टिप्पण :–

*(1) वातित क्वालिटी - विशेष अनुज्ञा के अधीन विनिर्मित ।

(2) उत्पादक द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं में बुलाई सम्मिलित हैं किन्तु उसमें उत्पाद शुल्क, विक्रय - कर, चुंगी, सीमाकर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

(3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कोमत सामग्रियों के [illegible] उत्पाद शुल्क सम्मिलित हैं किन्तु विक्रयकर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित कर नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण :

(1) 'फुटकर विक्रेता' से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

(ii) 'थोक विक्रेता' से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो,

(क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्रा में, या

(ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

[सं० 12-2/72-सी० एन्ड पी/आई]

एफ० जी० टी० मैनेजिज निदेशक (वनस्पति) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972